

दिनांक 14.01.2026 प्रेस नोट जनपद प्रतापगढ़

थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़

टप्पेबाजी/ ठगी के प्रकरण में बड़ी बरामदगी — 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से आभूषण, कूटरचित नंबर प्लेट व नकदी बरामद-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में टप्पेबाजी की घटना का सफल अनावरण एवं 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

थाना आसपुर देवसरा पुलिस द्वारा महादेव इण्टर कालेज के सामने मोलनापुर गाँव मोड़ के पास से टप्पेबाजी के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

ठगी की गंभीर घटना के दृष्टिगत पुलिस टीमों गठन कर घटना में संलिप्त अभियुक्तों/ अनावरण हेतु लगातार प्रयास किया जा रहा था, अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी विधिक कार्यवाही प्रचलित-

अमरगढ़ चौराहे पर सोने का बिस्किट बताकर महिला से आभूषण उगने की घटना के संबंध में थाना आसपुर देवसरा में अभियोग पंजीकृत किया गया था-

प्रतापगढ़।

दिनांक- 13.01.2026 को वादिनी निवासी अमरगढ़ उदईशाहपुर के साथ थाना आसपुर देवसरा क्षेत्रान्तर्गत अमरगढ़ चौराहे पर 01 मोटरसाइकिल से आए तीन अज्ञात व्यक्तियों ने वादिनी को पीले रंग का धातु का गुटका सोने का बिस्किट बताकर धोखे से दे दिया और बहन के यहां खिचड़ी ले जाने का बहाना बनाकर उसके सोने का नाक का फूल एवं पैरों की चांदी की पायल ले ली। वादिनी से उक्त व्यक्तियों द्वारा धोखाधड़ी कर आभूषण लेकर फरार हो गये। इस संबंध में थाना आसपुर देवसरा में मु0अ0सं0 07/2026 धारा 318(4), 304(2) बीएनएस बनान 03 अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के कुशल निर्देशन में घटना के त्वरित अनावरण हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया था। गठित टीमों द्वारा सतत रूप से साक्ष्य संकलन, सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण एवं संभावित स्थानों पर लगातार दबिश दी जा रही थी। उक्त अथक प्रयासों के परिणामस्वरूप आज दिनांक 14.01.2026 को पुलिस टीमों द्वारा घटना का सफल अनावरण करते हुए इसमें संलिप्त अभियुक्तों की पहचान एवं गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के कुशल नेतृत्व में थानाध्यक्ष श्री विजेन्द्र सिंह मय हमराह उ०नि० सचिन पटेल, हे०का० भानू सिंह म०का० आरती मौर्या, का० कैलाश यादव, चालक का० सुनील सिंह द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु०अ०सं० 07/2026 धारा 318(4), 304(2) बीएनएस से संबंधित 01 अभियुक्त राजन मिश्रा पुत्र स्व० रामअधार मिश्रा निग्राम बिलोई थाना मुगराबादशाहपुर जनपद जौनपुर उम्र करीब 38 वर्ष को थाना आसपुर देवसरा क्षेत्रान्तर्गत महादेव इण्टर कालेज के सामने मोलनापुर गाँव मोड़ के पास से घटना में प्रयुक्त एक अदद मोटर साइकिल UP62CU5471 के साथ गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त राजन मिश्रा उपरोक्त के कब्जे से सफेद धातु की 03 जोड़ी पायल, 04 अदद पीले धातु की मंगलसूत्र माला सहित, 02 अदद सफेद धातु की अंगूठी, 04 अदद पीले धातु की झाला, पीली धातु की 03 अदद नाक की कील, 01 अदद पीली धातु का सोने के जैसा एक कटा हुआ बिस्किट एवं थाना आसपुर देवसरा पर पंजीकृत मु०अ०सं० 07/26 धारा 318(4), 304(2) बीएनएस से सम्बन्धित बरामद माल 01 अदद सफेद धातु की पायल व 01 अदद पीले धातु की नाक की कील 01 अदद कूटरचित नम्बर प्लेट व 2160 रुपये नगद बरामद किया गया।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2), 336(2), 340(2) बीएनएस की वृद्धि कर अग्रिम विवेचनात्मक कार्यवाही प्रचलित है।

अभियुक्त से पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि वह अपने 02 अन्य साथी निवासी थाना मछली शहर जनपद जौनपुर के साथ मिलकर दिनांक 13.01.26 को अमरगढ़ के वादिनी एवं सहसो, फूलपुर, मछली शहर एवं प्रतापगढ़ में मोटर साइकिल पर फर्जी नम्बर लगाकर एक साथ घटना कारित किया था। आज ये माल लेकर बटवारे के लिये राजा बाजार जौनपुर जा रहे थे कि आप लोगों द्वारा पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

राजन मिश्रा पुत्र स्व० रामअधार मिश्रा निग्राम बिलोई थाना मुगराबादशाहपुर जनपद जौनपुर उम्र करीब 38 वर्ष।

बरामदगी-

01. सफेद धातु की 03 जोड़ी पायल,
02. 04 अदद पीले धातु की मंगलसूत्र माला सहित,
03. 02 अदद सफेद धातु की अंगूठी,

04. 04 अदद पीले धातु की झाला,
05. पीली धातु की 03 अदद नाक की कील,
06. 01 अदद पीली धातु का सोने के जैसा एक कटा हुआ बिस्किट एवं
07. थाना आसपुर देवसरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 07/26 धारा 318(4), 304(2) बीएनएस से सम्बन्धित बरामद माल 01 अदद सफेद धातु की पायल व 01 अदद पीले धातु की नाक की कील
08. 01 अदद कूटरचित नम्बर प्लेट
09. घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल UP62CU5471,
10. नगद 2160 रुपये बरामद ।

पुलिस टीम का विवरण-

थानाध्यक्ष श्री विजेन्द्र सिंह मय हमराह उ0नि0 सचिन पटेल, हे0का0 भानू सिंह म0का0 आरती मौर्या, का0 कैलाश यादव, चालक का0 सुनील सिंह थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना- कोतवाली नगर, जनपद- प्रतापगढ़

थाना कोतवाली नगर पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में लूट के अभियोग से संबंधित 02 अभियुक्त घायल/गिरफ्तार-

थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत गड़ई चकदहिया कारीघाट के पास थाना कोतवाली नगर पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में 01 अभियुक्त के बायें पैर में गोली लगी व 01 अन्य अभियुक्त को मौके से गिरफ्तार किया गया ।

घायल अभियुक्त अभिषेक उर्फ दउवा को ईलाज हेतु जिला अस्पताल, प्रतापगढ़ भेजा गया है-

अभियुक्तों के कब्जे से छीना हुआ 01 अदद मोबाइल फोन, चोरी व लूट के 06 अन्य मोबाइल फोन, 01 अदद तमंचा 315 बोर, 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर, 03 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोटर साइकिल बरामद किया गया-

दिनांक 10.01.2026 को थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत सदर चौराहा, वी-2 मॉल के पास एक महिला से अज्ञात मोटरसाइकिल सवार दो व्यक्तियों द्वारा मोबाइल व पर्स छीन लिया गया। जिसके संबंध में थाना कोतवाली नगर में मु0अ0सं0 18/2026 धारा 304 बीएनएस बनाम अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया था ।

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा त्वरित संज्ञान लेते हुए घटना के शीघ्र अनावरण एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया। गठित टीमों द्वारा घटना स्थल से साक्ष्य संकलन, तकनीकी जानकारी व सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से अभियुक्तों की शिनाख्त एवं गिरफ्तारी हेतु लगातार प्रयास किए जा रहे थे।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु दबिश दी जा रही थी। इसी क्रम में दिनांक 13.01.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक(पूर्वी) श्री शैलेन्द लाल व सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रशान्त राज के पर्वक्षेत्र में थाना प्रभारी कोतवाली नगर श्री सुभाष कुमार यादव मय हमराह द्वारा थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत गड़ई चकदहिया कारीघाट के पास चेकिंग के दौरान अभियुक्त द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गयी। आत्म सुरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा जबाबी फायरिंग में हुई मुठभेड़ में लूट के अभियोग से संबंधित शातिर अभियुक्त 01. अभिषेक उर्फ दउवा पुत्र राम लाल सरोज उम्र 21 निवासी गड़ई पारा हमीदपुर थाना अंतू जनपद प्रतापगढ़ के बायें पैर में गोली लगी व 01 अन्य अभियुक्त रंजीत सरोज उर्फ निरहू पुत्र कमलाकांत उर्फ जोखू उम्र करीब 19 वर्ष निवासी गड़ई पारा हमीदपुर थाना अंतू जनपद प्रतापगढ़ को मौके से गिरफ्तार किया गया। घायल अभियुक्त को ईलाज हेतु जिला अस्पताल प्रतापगढ़ भेजा गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

अभियुक्तों के कब्जे से छीना हुआ 01 अदद मोबाइल फोन, चोरी व लूट के 06 अन्य मोबाइल फोन, 01 अदद तमंचा 315 बोर, 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर, 03 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोटर साइकिल बरामद किया गया।

घायल/ गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. अभिषेक उर्फ दउवा पुत्र राम लाल सरोज उम्र 21 निवासी गड़ई पारा हमीदपुर थाना अंतू जनपद प्रतापगढ़।
02. रंजीत सरोज उर्फ निरहू पुत्र कमलाकांत उर्फ जोखू उम्र करीब 19 वर्ष निवासी गड़ई पारा हमीदपुर थाना अंतू जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-

थाना प्रभारी कोतवाली नगर श्री सुभाष कुमार यादव मय हमराह थाना कोतवाली जनपद प्रतापगढ़।

थाना महेशगंज, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना महेशगंज पुलिस द्वारा अपहरण के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त प्रेमश्याम को किया गया गिरफ्तार-

अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी सदर श्रीमती करिश्मा

गुप्ता के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी महेशगंज श्री राधेश्याम के नेतृत्व में उ०नि० शिवपाल सिंह मय हमराह, का० विपिन कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वारण्टी, वाछित अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर मु०अ०सं० 10/2026 धारा 137(2)/87 बीएनएस थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त प्रेमश्याम पुत्र बखेडू गौतम निवासी वरवारीपुर थाना कादीपुर जनपद सुल्तानपुर उम्र करीब 32 वर्ष को थाना महेशगंज क्षेत्रान्तर्गत अन्नाव बाडर के पास से गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. प्रेमश्याम पुत्र बखेडू गौतम निवासी वरवारीपुर थाना कादीपुर जनपद सुल्तानपुर उम्र करीब 32 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण-

उ०नि० शिवपाल सिंह मय हमराह, का० विपिन कुमार थाना महेशगंज, जनपद प्रतापगढ़।

थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म व आईटी एक्ट के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त को थाना लीलापुर पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी लीलापुर श्री मनोज कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में महिला उप निरीक्षक ज्योति सिंह मय हमराह उप निरीक्षक दीपक यादव, उ०नि० लतीफ़ खान, मुख्य आरक्षी गणेश, चालक का० हरेन्द्र सिंह द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा 69/61 (2)A/356 (2) बीएनएस व 67 IT Act थाना लीलापुर प्रतापगढ़ में वांछित 01 अभियुक्त मोहित पुत्र बनवारी लाल अग्रहरी निवासी ग्राम मुकुन्दपुर थाना होलागढ़ जनपद प्रयागराज उम्र 26 वर्ष को थाना लीलापुर क्षेत्रांतर्गत रयाबरेली रोड पुरे बीरबल ढकवा स्थित पुलिया से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. मोहित पुत्र बनवारी लाल अग्रहरी निवासी ग्राम मुकुन्दपुर थाना होलागढ़ जनपद प्रयागराज उम्र 26 वर्ष।

पुलिस टीम-

महिला उप निरीक्षक ज्योति सिंह मय हमराह उप निरीक्षक दीपक यादव, उ०नि० लतीफ़ खान, मुख्य आरक्षी गणेश, चालक का० हरेन्द्र सिंह थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़।